तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/272) बअनवान बंशीलाल बनाम हड़मानराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अपील पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से कृषि कनेक्शन की छूट चाही गई है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2024 के जरिये अपीलांट को अपने हक–हिस्से की भूमि में कृषि कनेक्शन की छूट प्रदान की जाकर त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त छूट को निरंतर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व जारी कृषि कनेक्शन स्थापित किये जाने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेष सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	